राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1877/2015/बारां

मैसर्स नाकोडा ट्रेडर्स
अटरू, बारां
खेरवाडा, उदयपुर — अपीलार्थी

बनाम

1.उपायुक्त(प्रशासन)
वाणिज्यिक कर विभाग,कोटा
2.सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट–द्वितीय वृत–बारां — प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित
श्री अभिषेक अजमेरा
अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 10.02.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी ने उपायुक्त(प्रशासन), वाणिज्यिक कर, कोटा (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 09.07.2014 के विरूद्ध पेश की गयी हैं।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत–बारां (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2011–12 की विवरिणयॉ प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने स्वविवेक के आधार पर आलोच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.02.2014 को एकपक्षीय पारित करते हुए रू. 9,25,900/–की मांग सृजित की है। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 20.02.2014 से असन्तुष्ट होकर व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये उक्त कर निर्धारण आदेश पारित किया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है, अतः प्रकरण रि–ओपन करने हेतु अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आदेश दिनांक 09.07.2014 पारित कर अपीलार्थी व्यवसायी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया । अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.07.2014 से क्षुब्ध होकर व्यवहारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.02.2014 पारित कर रू. 9,25,900/– की मांग सृजित की है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी की टिप्पणी के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया है,जो तथ्यों एवं रिकार्ड के अनुसार उचित नहीं है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना नोटिस तामील कराये ही कर निर्धारण आदेश पारित किया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपील स्वीकार कर प्रकरण रि–ओपन करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को वर्ष 2011–12 का कर निर्धारण पारित करने हेतु दिनांक 18.11.2003 को दिनांक 04.12.2013 तक विवरिणयॉ प्रस्तुत करनेहेतु नोटिस जरिए जारी किया, किन्तु उसकी पालना नियत तिथि तक अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा नहीं की गई है । उनका कथन है कि दिनांक 19.112013 को व्यवहारी द्वारा दी गई 'आई डी' पर जरिए ईमेल नोटिस भेजा गया है, किन्तु उसकी पालना में भी अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ना तो कोई उपस्थित हुआ और ना ही कोई विवरणी प्रेषित की गई है । उनका कथन है कि नोटिस तामीली के बावजूद अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ना तो स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ और ना ही कोई उपस्थित हुआ,ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी ने एकतरफा कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.02.2014 पारित करते हुए रू. 9,25,900/–की मांग सृजित की है, जो उचित है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया है, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी का यह कथन कि उन्हें कर निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय पर मनन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सीधे ही आदेशिका दिनांक 20.02.2014 को यह लिखते हुए कि " पत्रावली पेश हुई। व्यवहारी द्वारा वर्ष 11–12 की विवरणियां प्रस्तुत नहीं की गई है। कर निर्धारण किया जाना आवश्यक है। ऐसी

अवस्था में मेरे समक्ष सर्वोत्तम ज्ञान के आधार पर एक तरफा निर्णय पारित करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नही रह जाता है ......।'' आदेश पारित कर मांग राशि / रू. 9,25,900 / –आरोपित कर दी है। उक्त कार्यवाही से स्वतः ही स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने आदेश पारित करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है।

अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश में अंकित किया है कि दिनांक 18.11.2013 को दिनांक 04.12.2013 तक विवरणियॉ पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया है किन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई नोटिस उपलब्ध नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह ज्ञात होता हो कि उनके द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को कर निर्धारण पारित करने हेतु नोटिस जारी गया है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों की अनेदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की है, जिसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है।

अतः प्रकरण के तथ्यों पर गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात न्याय हित में अपीलार्थी व्यवहारीं की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, इस निर्णय की प्राप्ति के दो माह के भीतर पुनः आलोच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश पारित करें। अपीलार्थी व्यवहारी को भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह इस निर्णय की तामीली के पश्चात साठ दिवस के भीतर स्वतः कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आलोच्य अवधि का पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने में सहयोग प्रदान करें।

फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.07.2014 एवं कर निर्धारण अधिकारी के कर निर्धारण आदेश 20.02.2014 को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार कर उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं ।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य